HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL MISC. WRIT PETITION No. - 18876 of 2026

Preeti Bajpai

.....Petitioner(s)

Versus

State Of U.P. And 5 Others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Ashutosh Mishra, Gyanendra Kumar Yadav, Syed Abid Ali Naqvi
Counsel for Respondent(s)	:	Anand Prakash Srivastava, G.A., Rajiv Gaur

Court No. - 49

HON'BLE AJAY BHANOT, J.
HON'BLE DIVESH CHANDRA SAMANT, J.

The supplementary affidavit filed today on behalf of the petitioner asserts that a senior police official namely Shri Kapil Dev Singh, Additional Deputy Commissioner of Police, Kanpur Nagar was directly involved in the incident.

Shri Ashutosh Mishra, learned counsel and Shri Syed Abid Ali Naqvi, learned counsel for the petitioner pray for and are permitted to implead Additional Deputy Commissioner of Police, Kanpur Nagar, Shri Kapil Dev Singh as co-respondent no. 7 by pasting typed copy of the particulars in red ink to the cause title during the course of the day.

The parcha dated 16.04.2026 appended to the writ petition records the complicity of the police authorities in the looting. The relevant extract from the case diary is reproduced hereinbelow:

"**इस दौरान पुलिस प्रशासन भी सीसीटीवी वीडियो फुटेज में दिखाई दिए हैं घटना के दिन आने-जाने वालों के द्वारा अपने निजी फोन से बनाई गई वीडियो फुटेज भी देखी गई जिसमें एक जेसीबी होटल नेगी ग्रैंड की दीवार तोड़ती दिखाई देती है** और आसपास काफी भीड़ लगी हुई है दीवार तोड़ने के पश्चात होटल नेगी के लॉन में काम करने वाले एवं अज्ञात साथियों के साथ विवेक गुप्ता, रविकांत बाजपेयी, बृजेश सिंह एवं योगेश सिंह अंदर दिखाई दे रहे हैं। कुछ वीडियो फुटेज में होटल ग्रैंड नेगी के अंदर तोड़फोड़ के वीडियो फुटेज भी हैं, जिनको देखने से यह लग रहा है कि होटल के अंदर खिड़की, दरवाजे, अलमारी, टीवी, सीसीटीवी कैमरे तथा डीवीआर तोड़फोड़ कर लूटपाट की गई है। सभी वीडियो फुटेज के अवलोकन से यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि योगेश सिंह, विवेक कुमार गुप्ता, बृजेश सिंह एवं रविकांत बाजपेयी के द्वारा अपने साथियों को साथ लेकर होटल ग्रैंड नेगी की दीवार तोड़कर होटल नेगी के लॉन पर कब्जा किया

गया। कब्जा करने के दौरान होटल ग्रैंड नेगी में लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा गया एवं होटल के अंदर दरवाजे, अलमारी तोड़कर सामान की लूटपाट की गई है। होटल ग्रैंड नेगी से लूटपाट कर सामान ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से यह घटना सुबह 9:00 बजे से लगातार होती दिखाई दे रही है **घटना के दौरान पुलिस प्रशासन का भी मौके पर मूवमेंट दिखाई दी है लूटपाट करते हुए दिखाई दे रहे हैं** एवं वादी ने घटना से संबंधित छायाचित्र स्वप्रमाणित प्रदान किए, जिसमें नामित आरोपी विवेक कुमार गुप्ता अपने अन्य साथियों के साथ होटल नेगी पर कब्जा करता हुआ दिखाई दे रहा है। विवेक कुमार गुप्ता अपने मित्र योगेश सिंह, बृजेश सिंह, रविकांत बाजपेयी एवं अपने अन्य साथियों के छायाचित्र में दिखाई दे रहे हैं। उक्त पेनड्राइव की संलग्नक सीडी की जा रही है, एवं प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 63(4)(ग) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 तामीलशुदा प्राप्त कराया गया, जिसको संलग्नक सीडी किया जा रहा है, एवं धारा 190 बीएनएसएस का नोटिस तामील कराया गया, तामीलशुदा नोटिस संलग्न सीडी किया जा रहा है।" (emphasis supplied)

The affidavit filed on behalf of the investigating officer is not satisfactory and shows the deficient nature of investigation. In view of the prima facie involvement of senior police personnel in the incident, the investigation warrants direct supervision by the highest police official of the district.

Since the matter requires urgent attention at the highest level of the police authorities, the Commissioner of Police, Kanpur Nagar, shall appear in person on the next date of listing along with a personal affidavit.

Issue notice to the newly impleaded respondent no. 7.

A copy of this order be sent to the Director General of Police, State of UP, Lucknow by the learned Government Advocate.

Put up this case on 26.11.2026 in the list of fresh cases.

(Divesh Chandra Samant,J.) (Ajay Bhanot,J.)

October 24, 2026
Dhananjai

Digitally signed by :-
DHANANJAI
High Court of Judicature at Allahabad